



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062021-227330
CG-DL-E-02062021-227330

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1979]
No. 1979]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 2021/ज्येष्ठ 12, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 2021/JYAISHTHA 12, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2021

का.आ. 2133(अ).—केंद्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन तथा कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 के पैरा 6 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 107 (अ) तारीख 5 फरवरी, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि तेल कंपनियों संपूर्ण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशनों के अनुसार बीस प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करेंगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. पी-11013/1/2015-वितरण]

डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2021

S.O. 2133(E).—In exercise of powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with paragraph 6 of Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices), Order, 2005 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas *vide* G.S.R. 107 (E) dated 5th February, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the Oil Companies shall sell Ethanol Blended Petrol with percentage of ethanol up to twenty per cent as per the Bureau of Indian Standards specifications, in the whole of the States and union territories.

2. This Notification shall come into force with effect from the 1st April, 2023.

[F. No. P-11013/1/2015-Dist.]

Dr. NAVNEET MOHAN KOTHARI, Jt. Secy.